न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–53/2008 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जगनलाल पुत्र श्री मनफूल राम जाति महाजन निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0,

..... अपीलांट्स

बनाम

1. कल्लू पुत्र छोटेलाल जाति नायक निवासी रामगढ जिला अलवर
2. रघुवीर पुत्र गुल्या जाति नायक निवासी रामगढ जिला अलवर।
3. मंगतू पुत्र गुल्या जाति नायक निवासी रामगढ जिला अलवर राज0।(मृतक)

3/1. रघुवीर पुत्र स्व0 श्री मंगतू नायक निवासी रामगढ।

4. काल्या पुत्र भौरया जाति नायक (मृतक)

4/1. साधूराम पुत्र श्री काल्या जाति नायक।

4/2. मु0 किन्नो पुत्री श्री काल्या जाति नायक।

5. साधु पुत्र काल्या जाति नायक निवासीयान रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सचिन खत्री अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 25.04.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की कब्जे काश्त विवादित आराजी ख0 नं0 323 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी रामगढ़ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर तहत अदालत में अपना जबाव दावा पेश किया। विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं दि0 25.04.2008 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । विवादित आराजी का विवरण दिया। विवादित आराजी ख0 नं0 323 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी में अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज है जो रिकॉर्ड आफ राईट है। जिसके विरोध में प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नही है। तहत अदालत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह आदेश 20 नियम 5 जा.दी के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात का प्रत्येक का अलग–अलग विवेचन नही किया है ऐसी सूरत में उक्त आदेश निर्णय की श्रेणी में नही आता है। तहसीलदार रामगढ की मौके व कब्जा रिपोर्ट के मुताबिक भी वादी का कब्जा साबित होता है। वादी के पक्ष में घटना बही में मौके पर कब्जा देना साबित है। प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नही है। अपीलांट खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी से रेस्पो0 का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है। अपीलांट ही उक्त आराजी की जमा सरकारी अदा करता रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1999 पेज 509 पेश की ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उक्त विवादित आराजी मौके पर आबादी का रकबा है जिसमें आबादी काफी समय पूर्व से चली आ रही है।इसके साबिक खसरा नंबर 271 मिन 10 बिस्वा बंजड, 271 मिन 2 बीघा 3 बिस्वा बंजड कदीम, 271 मिन 5 बिस्वा थे। जिनका इन्द्राज बंजड कदीम के नाम से बंदोबस्त पूर्व की जमाबंदियों में रहा है। 271 मिन रकबा 5 बिस्वा कस्टोडियन से नीलाम हो गया जिसका पट्टा कस्टोडियन विभाग से गुलजी पुत्र भूरजी के नाम जारी होकर मिल चुका है।तहत अदालत में वादी ने इसको चैलेन्ज भी नही किया।अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। मौके पर किस्म बाग बारानी नही है। अपीलांट ने अपने आपको काश्तकार खातेदार गलत बताया है एवं गैर काबिज है जिसको कोई नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नही होता है। उक्त विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पो0 का है।तहत न्यायालय का निर्णय सही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी 2003 पेज 50, डी.एन.जे 2008 पेज 1197 पेश की।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2008 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट द्वारा पेश आर.आर.डी. 1999 पेज 509 इस प्रकरण में लागू होते हैं क्योंकि आदेश 14 नियम 01 के अनुसार निर्णय तनकीवार नही किया गया है।

रेस्पो0 द्वारा पेश दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि उन्हें उक्त विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त नही हैं एवं पट्टे से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय मे तनकीयात कायम नही की गई हैं। वादी के दस्तावेजों का निर्णय में उल्लेख कर विवेचन नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा गुलजी पुत्र भूरजी के नाम जारी पट्टे का प्रदर्श नही करवाया है जिस आधार पर वाद का निर्णय हुआ है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 25.04.2008 निरस्त किया जाता है। इस अनुक्रम में रिकॉर्ड ऑफ राईट में यदि कोई इन्द्राज किया गया है तो उसको भी कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जबाव दावे के आधार पर तनकीयात तय कर, विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण पर अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.11.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर